(नियम 26)

राजस्व अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम– मण्डावर (दौसा)

मु.नं.– 72/21(विविध) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बैजूपाडा बनाम पटवारी हल्का निहालपुरा

किस्म मुकदमा –भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 131, 132 व नियम 58,59,60,66,86 भू अ नियम 1957

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/21	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत कैम्प ग्राम पंचायत गैदाडी मीनान में तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.भि.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66, 86 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 343, 346 स्थित ग्राम अलियापाडा पटवार मण्डल...निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में मौके पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं भूमि रास्ते के उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित नही है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नही है। साथ ही दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का निहालपुरा परिशिष्ट–ए एवं अभिशंषा तहसीलदार बैजूपाडा प्रस्तुत की। प्रार्थनापत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावें। न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि के निजी खातेदारान को अपना पक्ष दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। किन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारों के साथ–साथ मंदिर माफी की भूमि भी है । मंदिर माफी भूमि से से रास्ता दिया जाना संभव नही है। अतः तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 को प्रस्तावित रास्ता भूमि मंदिर माफी की भूमि होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)	